

हरियाणा मंत्रिमंडल ने 'हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022' को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों?

29 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में 'हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022' को मंजूरी प्रदान की गई। यह नीति मुख्य शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के उद्देश्यों के लिये लैंड बैंक बनाने हेतु एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

प्रमुख बिंदु

- नीति में विभिन्न चरणों में समय-सीमा निर्धारित की गई है, ताकि भूमि मालिकों के हितों की सुरक्षा की जा सके और समयबद्ध तरीके से भूमि विकास के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।
- हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022 का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे के विकास सहित नियोजित विकास के उद्देश्य को प्राप्त करना और उक्त विकास में भागीदार बनने के इच्छुक भूमि मालिकों की स्वैच्छिक भागीदारी के माध्यम से भूमि प्राप्त करना है।
- इस नीति का उद्देश्य हरियाणा अनुसूचित सड़क एवं नयित्तरित क्षेत्र प्रतर्बिध के प्रावधानों के अनयिमति विकास अधनियम, 1963 के तहत राज्य सरकार द्वारा पब्लिशिड डेवलपमेंट प्लान के निर्धारित क्षेत्र के भीतर एक सेक्टर या उसके हसिसे के विकास के लिये भूमि की पूलिंग हेतु एक नषिपक्ष और पारदर्शी तंत्र विकसित करना है।
- इस नीति का एक अन्य उद्देश्य भूमि के आवंटन को रकित भूमि (रॉ लैंड) की लागत से जोड़कर भूमि मालिक को अधिकतम लाभ प्रदान करना है।
- इस नीति के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) पब्लिशिड डेवलपमेंट प्लान में शहरी क्षेत्र के भीतर स्थित क्षेत्रों के मामले में आवासीय, वाणजियकि, संस्थागत और बुनियादी ढाँचे का विकास करेगा।
- इसके अलावा, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास नगिम लमिटिड (एचएसआईआईडीसी) इस नीति के तहत हरियाणा में कहीं भी औद्योगिक बुनियादी ढाँचे या संस्थागत उद्देश्यों के लिये विकास कार्य करेगा।
- इस नीति के तहत एचएसआईआईडीसी और एचएसवीपी के लिये उपरोक्त उद्देश्यों के अलावा राज्य सरकार द्वारा कसि भी वभिग या कसि बोर्ड, नगिम या राज्य सरकार के स्वामित्व और नयित्तरण वाले अन्य संगठन को कसि भी नरिदषिट विकास उद्देश्य के लिये अधिकृत किया जा सकता है।
- यह नीति नरिदषिट विकास उद्देश्य के लिये परयोजना हेतु भूमि की पेशकश करने वाले भूमि मालिकों पर लागू होगी। यह नीति उन एग्रीगेटर पर लागू होगी, जो नरिदषिट विकास उद्देश्य के लिये परयोजना हेतु भूमि की पेशकश करने के लिये कई भूमि मालिकों के साथ समझौते के तहत भूमि एकत्र करते हैं।
- यह नीति विकास योजना में नरिदषिट भूमि उपयोग के अनुरूप भूमि के लिये लागू होगी। साथ ही, यह नीति हरियाणा में कसि अन्य क्षेत्र के संबंध में भी लागू होगी, जहाँ विकास का उद्देश्य बुनियादी ढाँचा या औद्योगिक विकास हो।
- डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भू-स्वामियों को एक भूमि अधिकार प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा, जो ट्रेड या मोर्टगेज रखा जा सकता है।
- इस नीति के तहत कोई भी भूमि मालिक, या तो सीधे या एक एग्रीगेटर के माध्यम से प्रकाशन में नरिदषिट अवधि, जोकि 60 दिनों से कम नहीं होगी, के भीतर विकास उद्देश्य के लिये परयोजना हेतु भूमि की पेशकश करने के लिये आवेदन जमा कर सकता है। इस अवधि को डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन यह 30 दिनों से अधिक नहीं होगी। आवेदन के लिये कोई शुल्क नहीं होगा।
- भूमि मालिक परयोजना के लिये प्रस्तावित भूमि के विवरण के साथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करेंगे। मैन्युअल रूप से जमा किये गए कसि भी आवेदन पर वचिर नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदन को खारजि कर दिया जाएगा।
- विकास परयोजना के लिये योगदान करने वाले प्रत्येक भूस्वामी को वार्षिक अंतरमि वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जसि परयोजना की कुल लागत में शामिल किया जाएगा।
- परयोजना की कुल लागत सभी भूस्वामियों द्वारा योगदान की गई अवकिसति भूमि के मूल्य, विकास की लागत, अंतरमि वार्षिक सहायता और प्रशासनिक शुल्क का योग होगा।
- भूमि मालिक, सीधे या एग्रीगेटर के माध्यम से, नरिदषिट विकास उद्देश्य के लिये परयोजना हेतु राज्य सरकार के ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से अपने स्वामित्व वाली भूमि की पेशकश करने के लिये स्वतंत्र होगा। इस स्थिति में उक्त प्रस्ताव पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन वभिग की 6 फरवरी, 2017 की नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- यदि एग्रीगेटर के माध्यम से भूमि की पेशकश की जाती है, तो एग्रीगेटर भूस्वामियों और एग्रीगेटर के बीच सहमति के अनुसार पारशिरमकि प्राप्त करने का पात्र होगा, बशरते कि पारशिरमकि 0.5 प्रतिशत से कम न हो।

